जेलों में मोबाईल पर कारागार विभाग सख्त

जेलों में संचालित होने वाले मोबाईल फोन और जेलों में बैठकर शातिर अपराधियो द्वारा मोबाईल से आपराधिक गतिविधियाँ संचालित करने के विरुद्ध कारागार विभाग ने ठोस कदम उठाना शुरू किया है।

श्री राजीव दासोत महानिदेशक कारागार के निर्देश पर जेलो में मोबाईल फोन व निषिद्ध पदार्थ की बरामदगी के लिये दिनांक 10.11.2020 से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत राज्य के समस्त जेल प्रभारियो ने अपने स्तर पर और आवश्यकता पडने पर जिला पुलिस व प्रशासन का सहयोग लेकर जेलों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा हैं जिसके परिणाम भी नजर आने लगे हैं।

अभियान के तहत केन्द्रीय कारागृह भरतपुर में 13 नवम्बर को, केन्द्रीय कारागृह जोधपुर में 16 नवम्बर को, केन्द्रीय कारागृह उदयपुर में 17 नवम्बर को मोबाईल बरामद किये गये है। इसके अलावा जिला कारागृह प्रतापगढ में दो अगल–अलग कार्यवाही में 09 एवं 17 नवम्बर को मोबाईल फोनों की बरामदगी की गई है। जिला कारागृह बांसवाडा में 10 नवम्बर को एक मोबाईल फोन, एक सिम, एक चार्जर पकडा गया। उप कारागृह श्री करणपुर (जिला श्रीगंगानर) में बन्दी से मुलाकात करने आये मुलाकाती के सामान की तलाशी से एक मोबाईल व चार्जर बरामद हुआ। इसी क्रम में तलाशी में एक अन्य बन्दी से भी मोबाईल व चार्जर की बरामदगी की गई।

कारागार प्रशासन द्वारा मोबाईल बरामदगी के सभी मामलो में कारागार अधिनियम के तहत पुलिस थानों में प्रकरण भी पंजीबद्ध करवाये गये हैं।

कुछ दिन पूर्व ही राज्य की एटीएस/एसओजी और कारागार प्रशासन के मध्य बैठक कर निर्णय लिया गया था कि जेलों से संचालित होने वाली अपराधिक गतिविधियो पर सख्ती से अंकुश लगाने के लिये जिला पुलिस और एसओजी, जेल प्रशासन के साथ मिलकर संयुक्त कार्यवाही करेंगें। इसी सिलसिले में एसओजी और जेल विभाग के अधिकारियों की संयुक्त समिति का गठन भी किया गया है।